सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 693   राँची, गुरुवार, 13 श्रावण, 1938 (श०) / 4 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

14 जुलाई, 2016

<u>कृपया पढ़े</u>:-

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-4489, दिनांक 16 जुलाई, 2011

2. उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-268, दिनांक 4 जुलाई, 2011; पत्रांक-1427/गो०, दिनांक 3 सितम्बर, 2012; पत्रांक-1099/अभि०, दिनांक 8 जून, 2012 एवं पत्रांक-1304/गो०, दिनांक 2 अक्टूबर, 2014

3. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक-105/स्था०, दिनांक 4 मार्च, 2014

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-94, दिनांक 5 जनवरी, 2012; पत्रांक-11450, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012; आदेश सं०-3008, दिनांक 26 मार्च, 2014; पत्रांक-8946, दिनांक 3 सितम्बर, 2014; आदेश सं०-8955, दिनांक 3 सितम्बर, 2014; पत्रांक-10927, दिनांक 13 नवम्बर, 2014; संकल्प सं०-6116, दिनांक 9 जुलाई, 2015; पत्रांक-9989,

दिनांक 23 नवम्बर, 2015; पत्रांक-63, दिनांक 5 जनवरी, 2016; पत्रांक-1140, दिनांक 8 फरवरी, 2016 एवं पत्रांक-5008, दिनांक 15 जून, 2016

5. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-520, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 एवं पत्रांक-512, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-399/2014 का.-5901-- श्री मोहन लाल मराण्डी (प्रथम बैच, गृह जिला-गोड्डा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4489, दिनांक 16 जुलाई, 2011 के माध्यम से उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-268, दिनांक 4 जुलाई, 2011 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में श्री मराण्डी के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

आरोप सं०-1. **<u>सुखाड़ राहत योजना की निधि का दुरूपयोग:-</u>**वित्तीय वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 में सुखाड़ राहत के लिए उपलब्ध कराई गई निधि से अवशेष राशि की विवरणी अपर समाहर्त्ता, गिरीडीह के पत्रांक 50, दिनांक 11 जनवरी, 2010; पत्रांक 1196, दिनांक 24 जून, 2010 एवं पत्रांक 2012, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा माँगी गई थी एवं आवश्यक निर्देश दिए गए थे ।

निर्गत निर्देशों के विपरीत बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश/निर्देश एवं स्वीकृति के अवशेष निधि से एक ही दिन 38 छोटी-छोटी योजनाओं के अभिलेख में 15000/- रूपये प्रति योजना के दर से कुल 3,90,000/- रूपये का चेक निर्गत कर दिया गया । यह कार्रवाई बिचैलिए के दबाव में किया गया परिलक्षित होता है ।

उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना एवं बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कोषागार में जमा करने योग्य राशि को नई योजना में व्यय कर वित्तीय अनियमितता बरती गई है ।

आरोप सं०-2. **<u>मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता एवं फर्जी भुगतान का मामला:-</u>**

क. धनवार प्रखण्ड में डेगरोडीह पंचायत के ग्राम सोनबाद में श्री तुरी राणा के निजी खेत में तालाब निर्माण कराये जाने एवं फर्जी मस्टर रोल तैयार कर मजदूरी भुगतान की पुष्टि जाँच में हुई है ।

ख. ग्राम खेसरम्बा में बंधु महतो के निजी खेत में तालाब निर्माण की योजना ली गई । बिना किसी काम के 1,51,000/-रूपये का भुगतान फर्जी मस्टर रोल तैयार कर किये जाने की पुष्टि जाँच में हुई है ।

ग. घोसेडीह में सामुदायिक भवन से नहर तक मिट्टी मोरम से पथ निर्माण की योजना एवं ग्राम बेको ने जिला परिषद् रोड से टुगरिया तक मिट्टी मोरम कार्य में क्रमशः 11800/- रूपये एवं 5900/- रूपये का फर्जी भुगतान बिना किसी कार्य के दिखाया गया है । इसकी पुष्टि स्थल जाँच से हुई है ।

मनरेगा एक्ट के प्रावधानों से भिन्न मशीन से कार्य एवं फर्जी भुगतान का मामला सामने आने पर भी दोषियों पर कार्रवाई प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार द्वारा नहीं किया जाना। कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं मनरेगा एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी योजना कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने की कार्रवाई सरकारी कार्य में उदासीनता स्पष्ट परिलक्षित है ।

आरोप सं०-3. **इंदिरा आवास योजना में फर्जी भुगतान:-** ग्राम धनवरियाडी एवं बलहरा ग्राम में निम्न लाभुकों के नाम स्वीकृत इंदिरा आवास योजना में बिचैलिया एवं पंचायत सेवक की मिलिभगत से फर्जी निकासी एवं भुगतान का मामला जांज से स्पष्ट हुआ है ।

योजनाओं का विवरण जिसमें फर्जी भुगतान का मामला परिलक्षित हुआ ।

1. ग्राम धनवरियाडीह योजना संख्या 675/2009-10 लाभुक अहिल्या देवी पति दामोदर सोनार पंचायत सेवक इसिदौर हेम्ब्रोम के पहचान पर भुगतान बिचैलिया मो० सदीक अंसारी पिता मो० रहमान मियां को 15000/-रूपये का भुगतान ।

2. ग्राम धनवरियाडीह योजना संख्या 677/09-10 में पंचायत सेवक इंसिदौर हेम्ब्रम के पहचान पर बिचौलिया मो० सदीक अंसारी को 3000/रूपये का भुगतान । लाभुक चंपा देवी पति महेन्द्र सोनार लाभुक का न तो भुगतान हुआ और न तो इन्दिरा आवास बना ।

3. चन्द्रिका देवी पति चुरामणि महतो के नाम 09-10 में स्वीकृत योजना में पंचायत सेवक एवं बिचैलिया की मिलीभगत से 15000 रूपये का फर्जी भुगतान ।

4. टुकनी देवी पति श्री नुनुराम दास ग्राम बलहरा के नाम स्वीकृत योजना में पंचायत सेवक एवं बिचौलिया के मिलीभगत से 15000/रूपया का फर्जी भुगतान । उपरोक्त योजनाओं में फर्जी भुगतान के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश उप विकास आयुक्त, गिरिडीह ने अपने पत्रांक 21 दिनांक 21 जनवरी, 2010 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने इस निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन एवं फर्जी भुगतान के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार दोषी है ।

आरोप सं०-4. उपरोक्त के अतिरिक्त मुंडरा पंचायत के 10 इन्दिरा आवास योजना संख्या 9/2010-11, 13/2010-11, 14/2010-11, 15/2010-11, 26/2010-11, 27/2010-11, 60/2010-11, 64/2010-11, 301/2010-

11 एवं 302/2010-11 के अभिलेख के परीक्षण एवं लाभुकों के बयान से यह सिद्ध हुआ कि भुगतान दूसरे पंचायत के पंचायत सेवक के पहचान पर किया गया है । अभिलेख सं० 26/2010-11, 27/2010-11, 60/2010-11 में रूपये 2,25,000/- रूपये भुगतान के विरूद्ध लाभुक के हाथ में मात्र 8000/- रूपये प्राप्त हुआ । शेष राशि बिचौलियों द्वारा हड़प लिया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-94, दिनांक 5 जनवरी, 2012 द्वारा श्री मराण्डी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

पुनः उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1427/गो०, दिनांक 3 सितम्बर, 2012 द्वारा श्री मराण्डी के विरूद्ध एक पूरक आरोप उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

पूरक आरोप- उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 1099/अभि० दिनांक 8 जून, 2012 से प्राप्त निदेश के अनुसार श्री निजामउद्दीन अंसारी माननीय विधायक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची में दर्ज परिवाद पत्र के आलोक में दिनांक 12 जून, 2012 को जाँच की गयी । जाँच के क्रम में सर्वप्रथम धनवार प्रखण्ड मुख्यालय में परिवाद पत्र में वर्णित इन्दिरा आवास के लाभुकों से संबंधित योजना संख्या 697, 696, 723, 695, 724 एवं 711/2009-10 के अभिलेख की माँग की गयी । प्रखण्ड कार्यालय में उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं थे । यहाँ तक कि वर्ष 2009-10 के Scheme Register भी उक्त योजनाओं का संधारण नहीं पाया गया । तत्पश्चात् वर्ष 2009-10 के Cash Book का अवलोकन में पाया गया कि परिवाद पत्र में वर्णित सभी लाभुकों यथा शान्ति देवी पति-रामेश्वर बैठा, बसन्ती देवी पति-अशोक रजक, रधवा देवी पति-गणेश बैठा, चैरशी देवी, पति-मनोज रजक, मालती देवी पति-लालजीत राम एवं सरिता देवी पति-संतोष रजक ग्राम खोरीमहुआ पं० गरजासारण प्र० धनवार को दिनांक 25 मार्च, 2010 को प्रथम किश्त के रूप में रू० 15000.00 एवं दिनांक 8 जून, 2010 को द्वितीय किश्त के रूप में रू० 19068.00 कुल रू० 34068.00 (चैंतीस हजार अड़सठ) रू० का भुगतान किया गया है । स्थल भ्रमण के दौरान ग्राम खोरीमहुआ में स्थानीय मुखिया श्रीमती जुलेखा खातुन पंचायत सेवक एवं अन्य के समक्ष संबंधित लाभुकों के द्वारा बताया गया कि उन्हें अब तक मात्र रू० 4500.00 (चार हजार पाँच सौ) रू० बिचौलिया श्री कृष्णदेव रजक के द्वारा दिया गया है तथा किसी भी लाभुक का इन्दिरा आवास नहीं बना है । वर्ष 2009-10 में संबंधित इन्दिरा आवास के लाभुकों के नाम पर तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री मोहन लाल मराण्डी, तत्कालीन पंचायत सेवक श्री नारायण राय, तत्कालीन सहायक अभियंता राम प्रकाश दास, तत्कालीन नाजीर श्री बबन कुमार सिंह, तत्कालीन लेखापाल श्री त्रिभुवन राम एवं बिचौलिया श्री कृष्णदेव रजक की मिलीभगत से सरकारी राशि का गबन किया गया है । बैंक कर्मी की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है ।

विभागीय पत्रांक-11450, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 द्वारा इस पूरक आरोप पत्र को श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को भेजते हुए इसे श्री मराण्डी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया ।

श्री सिन्हा द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर पत्रांक-520, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । प्रतिवेदन का सार निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 का जाँच प्रतिवेदन- आरोपी पदाधिकारी ने सूखा राहत मद में पूर्व से उपलब्ध अवशेष राशि को निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं से अलग होकर व्यय करने का असफल प्रयास किया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तथ्य को उजागर करने पर सरकारी राशि का दुरूपयोग होने से बच गया। आरोपी पदाधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो पदाधिकारी के द्वारा सरकारी राशि की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम प्रमाणित होता । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-2 का जाँच प्रतिवेदन- क. अपर समाहर्त्ता ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि इस योजना के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया था कि जे०सी०बी० मशीन से कार्य किया गया तथा फर्जी तरीके से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान ले लिया गया था । इस संबंध में जाँच पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न करने का प्रयास नहीं किया गया । दूसरी ओर, आरोपी पदाधिकारी ने कई गवाह अपने पक्ष में प्रस्तुत किए हैं, जो योजना के कार्यान्वयन के समय प्रत्यक्षदर्शी भी रहे । बिना साक्ष्य के आरोप प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। आरोपी पदाधिकारी को इससे संदेह का लाभ मिलता है ।

ख. अपर समाहर्त्ता ने दिनांक 20 जुलाई, 2010 को स्थलीय निरीक्षण किया था और स्थल पर नये कार्य का नामोनिशान नहीं पाया था । योजना अभिलेख में संलग्न मस्टर रोल के अवलोकन से पता चलता है कि अप्रैल-मई 2010 में स्थल पर मिट्टी कार्य कराया गया था । 6 जून, 2010 के बाद आदेश फलक में कोई प्रविष्टि नहीं है, जबकि अंतिम भुगतान 24 जनवरी, 2012 को किया गया है। आरोपी पदाधिकारी ने इस बिन्दु पर कोई प्रकाश नहीं डाला है कि दिनांक 6 जून, 2010 के बाद, जबकि आरोपी पदाधिकारी एक वर्ष आगे यानी जून 2011 तक उक्त पद पर पदस्थापित थे, योजना अभिलेख पर कोई आदेश क्यों नहीं अंकित है। इससे जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन की पुष्टि होती है। आरोप प्रमाणित होते हैं ।

ग. सुनवाई के क्रम में योजना अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । दोनों योजनाएँ एक ही समय में अर्थात् मई-जून 2010 में कार्यान्वित की जा रही थी और योजना समाप्ति के एक महीने के बाद योजना से संबंधित मस्टर रोल की प्रतियाँ प्रखंड कार्यालय को समर्पित की गई थीं । योजना समाप्ति के बाद मस्टर रोल देर से समर्पित करने के कारण ही पूरी स्थिति संदेहास्पद हुई है, क्योंकि मनरेगा के

नियमों के अनुसार मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सप्ताहांत तक कर देना था, लेकिन वर्तमान स्थिति में मई-जून महीने में किये गये कार्य की मजदूरी जुलाई महीने के अंत तक भुगतान नहीं की गई थी और स्थल पर भी काम होने का कोई साक्ष्य जाँच पदाधिकारी को नहीं मिला था। आरोपी पदाधिकारी ने इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, बल्कि एक सामान्य कारण बतला दिया है कि सभी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के नियंत्रण में कार्य सम्पन्न हुआ था । इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी आरोपों को असत्य प्रमाणित करने में असमर्थ रहे हैं। आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-3 का जाँच प्रतिवेदन- उप विकास आयुक्त के विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के विरूद्ध आरोपी पदाधिकारी ने कोई विशिष्ट तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इनका उत्तर मात्र इतना है कि मनरेगा के कर्मचारियों व पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में सारी कार्रवाई की गई थी, इसलिए इसमें कोई गलती की संभावना नहीं थीं । पर इतना तो सत्य था कि वास्तव में इन्दिरा आवास जमीन पर बने ही नहीं थे । आरोपी पदाधिकारी का उत्तर बहुत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है । स्थल पर योजनाएँ निर्मित नहीं थी, इसके लिए आरोपी पदाधिकारी ही मूल रूप से उत्तरदायी थे । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-4 का जाँच प्रतिवेदन- जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जाँच दल ने आरोप में वर्णित सभी 10 इंदिरा आवास योजना का स्थलीय निरीक्षण किया था और यह पाया था कि सभी इंदिरा आवास स्थल पर या तो आवास बनाए ही नहीं गए थे या अधूरे निर्मित थे । लाभुकों को स्वीकृत राशि (22,500 रू०) के विरूद्ध बहुत कम राशि (8000-12,000 रू०) का भुगतान किया गया ।

आरोपी पदाधिकारी ने अपने बचाव बयान में तथ्यात्मक एवं तर्कपूर्ण बचाव नहीं किया है। आरोपी पदाधिकारी का दावा है कि सभी लाभुकों को प्रखण्ड मुख्यालय में नाजीर के समक्ष दूसरे पंचायत सेवक के पहचान पर लाभुकों के आग्रह एवं संबंधित पंचायत सेवक से वार्त्तालाप के पश्चात् ही लाभुकों को चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया था । इस प्रकार बिचौलिया की बात नहीं आती है । इनका कहना है कि लाभुक की इच्छा के अनुसार पंचायत सेवक का चयन किया गया था, जो तर्क किसी भी सूरत में विश्वसनीय नहीं है, बल्कि निर्धारित सरकारी प्रक्रिया में निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर ही ऐसे परिवर्तन किये जाने की संभावना रहती है । स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाए गए आरोप गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करते हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत बचाव बयान को तर्कसंगत नहीं है। आरोप प्रमाणित होते हैं ।

पूरक आरोप का जाँच प्रतिवेदन- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि लाभुकों को भड़का कर लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड, राँची में परिवाद पत्र दर्ज किया गया है । लाभुकों का भुगतान पंचायत सेवक के पहचान पर बैंक के द्वारा किया गया है । द्वितीय एवं अंतिम किस्त का भुगतान भी

संबंधित पंचायत सेवक, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के अनुशंसा या प्रतिवेदन के आधार पर लाभुकों को पंचायत सेवक के पहचान पर बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया है ।

दूसरी ओर उपायुक्त का कहना है कि योजना राशि लाभुकों तक पहुँची ही नहीं, तब योजना कार्यान्वित ही कैसे होती ? यही कारण है कि स्थल पर आवास नहीं बन सके । इस वित्तीय अनियमितता में आरोपी पदाधिकारी भी बराबर के उत्तरदायी थे, क्योंकि उनके द्वारा ही एकाउंट पेयी चेकों को बैंक से लेकर गलत तरीके से बियरर चेक के रूप में परिवर्तित किया गया था ।

उपयोगिता प्रमाण पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पंचायत सेवक ने लाभुकों द्वारा उक्त आवासों की छत ढलाई करके निवास किया जाना प्रतिवेदित किया था जबकि उक्त लाभुकों के इंदिरा आवास अभी तक नहीं बने हैं । इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कभी भी उक्त आवासों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण नहीं किया गया था । आरोपी पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के घर के फोटो को संलग्न करते हुए वरीय पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि उपायुक्त का दावा अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं है । उन्होंने इस आरोप को बड़े हल्के ढंग से नकारने का प्रयास किया है, जो उनके ही विरूद्ध तथ्यों को सम्पुष्ट करता है । एकाउंट पेयी चेकों को अपने हाथों से काटकर बियरर चेक के रूप में परिवर्तित करना पदाधिकारी की कुत्सित मंशा का परिचायक है । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

इस बीच, उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-105/स्था०, दिनांक 4 मार्च, 2014 द्वारा श्री मराण्डी को दिनांक 21 जनवरी, 2014 को हिरासत में लिये जाने का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर विभागीय आदेश सं0-3008, दिनांक 26 मार्च, 2014 द्वारा इन्हें दिनांक 21 जनवरी, 2014 से हिरासत की पूरी अवधि तक के लिए निलंबित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मराण्डी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक एवं सरकारी राशि की क्षति मो० 6,33,700/- रूपये को प्रतिमाह 20,000/- रूपये की दर से इनके वेतन से वसूलने का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-8946, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई । साथ ही, हिरासत से मुक्त होने के पश्चात्, विभागीय आदेश सं०-8955, दिनांक 3 सितम्बर, 2014 द्वारा इन्हें विभाग में योगदान करने की तिथि दिनांक 18 मार्च, 2014 के प्रभाव से

इन्हें निलंबन मुक्त किया गया । विभागीय पत्रांक-10927, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री मराण्डी को द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब हेतु स्मारित किया गया, परन्तु इनका उत्तर अप्राप्त रहा ।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1304/गो०, दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री मराण्डी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों में कुल 52,06,171/- रूपये लोक धन की आर्थिक क्षति हुई है । चूँकि पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही में उक्त राशि की क्षति का मामला सन्निहित नहीं था, इसलिए समीक्षोपरान्त उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आधार पर पूरक प्रपत्र- 'क' गठित करते हुए पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । तद्नुसार, विभाग द्वारा गठित पूरक प्रपत्र-'क' में अंकित आरोप का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

पूरक प्रपत्र-'क' में आरोप- श्री मोहन लाल मराण्डी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार, गिरिडीह सुखाड़ राहत योजना, सिंचाई तालाब निर्माण योजना, मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं मनरेगा योजनाओं में 52,06,171.00 (बावन लाख छः हजार एक सौ इकहत्तर) रूपये की लोक धन की आर्थिक क्षति के लिए जिम्मेवार हैं । इनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है ।

इस आरोप हेतु विभागीय संकल्प सं०-6116, दिनांक 9 जुलाई, 2015 द्वारा श्री मराण्डी के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री सिन्हा के पत्रांक-512, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 द्वारा जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसका निष्कर्ष निम्नवत् है-

संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष- आरोपी पदाधिकारी ने अपने बचाव बयान में लोक धन की आर्थिक क्षति से संबंधित आरोपों से इनकार नहीं किया है । वे केवल सामान्य तर्क देते रहे हैं कि उन्होंने नियमपूर्वक सारे कार्य सम्पादित किये थे । इनका बचाव बयान तर्कपूर्ण नहीं है । इन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । सरकारी धन राशि के अपव्यय के बाद प्रकाश में आने पर धन राशि को वापस सरकारी खजाने में जमा कर देने से अपराध कम नहीं हो जाता है। आरोप स्वतः सिद्ध हैं । आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये कुल 52,06,171.00 रूपये के वसूली योग्य लोक धन की आर्थिक क्षति के आरोप प्रमाणित होते हैं ।

विभागीय पत्रांक-9989, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 द्वारा श्री मराण्डी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई कि उल्लिखित प्रमाणित आरोपों हेतु क्यों नहीं उन पर गुरूत्तर दण्ड अधिरोपित किया जाय ? इनका उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-63, दिनांक 5 जनवरी, 2016 एवं पत्रांक-1140, दिनांक 8 फरवरी, 2016 द्वारा इन्हें स्मारित किया गया । तत्पश्चात्, श्री मराण्डी के पत्र, दिनांक

29 फरवरी, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें इन्होंने निम्नवत् तथ्य अंकित किये हैं-

आरोप सं०-1 पर जवाब- सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए एवं राजनीतिक दलों द्वारा नई योजना की माँग करने पर 38 नई योजनाओं का सृजन किया गया था, जिसमें प्रत्येक योजना में कार्य आरंभ करने के लिए 15000x31=465000 रूपये का चेक लाभुक समिति को दे दिया गया था, परन्तु अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के मोबाईल से वार्त्तालाप के बाद सारे नव सृजित योजना को बंद करते हुए अग्रिम की पूरी राशि प्रखण्ड कार्यालय में जमा कर दिया गया ।

आरोप सं०-2 पर जवाब- योजना सं०-01/2010-11- बंधु महतो, ग्राम खेसरम्बा के निजी खेत में तालाब निर्माण कार्य मजदूरों द्वारा निगरानी समिति, रोजगार सेवक, मेठ, पंचायत सेवक एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी की देखरेख में किया गया है । साथ ही, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के मापी पुस्त के आधार पर भुगतान किया गया है । इसमें कोई फर्जी भुगतान नहीं किया गया है । प्रखण्ड पंचायत एवं जिला स्तरीय सोशल ऑडिट में यह बात कहीं नहीं आई है कि कार्य मशीन से हो रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम बैंकों में जिला परिषद रोड से टुगरिया तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण भी मजदूरों द्वारा निगरानी समिति, रोजगार सेवक, मेठ, पंचायत सेवक एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी की देखरेख में किया गया है । साथ ही, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के मापी पुस्त के आधार पर भुगतान किया गया है । इसमें कोई फर्जी भुगतान नहीं किया गया है ।

आरोप सं०-3 पर जवाब- योजना सं०-18/2009-10- घोसेडीह, सामुदायिक भवन से नहर तक मिट्टी मोरम पथ एवं पुलिया निर्माण कार्य मजदूरों द्वारा निगरानी समिति, रोजगार सेवक, मेठ, पंचायत सेवक एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी की देखरेख में किया गया है । साथ ही, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के मापी पुस्त के आधार पर भुगतान किया गया है । इसमें कोई फर्जी भुगतान नहीं किया गया है । प्रखण्ड पंचायत एवं जिला स्तरीय सोशल ऑडिट में यह बात कहीं नहीं आई है कि कार्य मशीन से हो रहा है ।

आरोप सं०-4 पर जवाब- इंदिरा आवास वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 की योजना में लाभुकों को नियमानुसार तीन किस्त में भुगतान किया गया है । लाभुक का फोटो अभिलेख संधारण से मिलान कर पंचायत सेवक के पहचान पर खाता में क्रस चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है । इसमें अनियमितता की बात सरासर गलत है ।

श्री मरांडी के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री मराण्डी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु असैनिक सेवाएँ

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

श्री मराण्डी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 6 अक्टूबर, 2010 को गिरिडीह कोषागार में चालान सं०-49 के माध्यम से 45,95,582/- रूपये जमा किया गया है । अतः इनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को विभागीय पत्रांक-5008, दिनांक 15 जून, 2016 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह को भेजते हुए लोकधन की क्षति का स्पष्ट आकलन करने का अनुरोध किया गया है । उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री मराण्डी से उक्त राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 693 –50 ।